



**THE**  
**JHARKHAND GAZETTE**  
**EXTRAORDINARY**  
**PUBLISHED BY AUTHORITY**

**No. 872**

**10 Kartik, 1941(S)**

**Ranchi, Friday, 1<sup>st</sup> November, 2019**

**COMMERCIAL TAXES DEPARTMENT**

-----  
**Notification No. -20/2019 – State Tax(Rate)**

**S.O. No- 88 Dated- 1<sup>st</sup> November, 2019--** In exercise of the powers conferred by sub-sections (1), (3) and (4) of section 9, sub-section (1) of section 11, sub-section (5) of section 15, sub-section (1) of section 16 and section 148 of the Jharkhand Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Government of Jharkhand, on the recommendations of the Council, and on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of Jharkhand in the Commercial Taxes Department, No.11/2017- State Tax (Rate), dated the 29<sup>th</sup> June, 2017, published in the Gazette of Jharkhand, Extraordinary, *vide* S.O. No. 41, dated the 29<sup>th</sup> June, 2017, namely:-

In the said notification, -

(i) in the Table, -

(a) against serial number 7, for the entries relating thereto in column (3), (4) and (5), the following items and entries shall be substituted, namely, -

(3)	(4)	(5)
“(i) Supply of ‘hotel accommodation’ having value of supply of a unit of accommodation above one thousand rupees but less than or equal to seven thousand five hundred rupees per unit per day or equivalent.	6	-
(ii) Supply of ‘restaurant service’ other than at ‘specified premises’	2.5	Provided that credit of input tax charged on goods and services used in supplying the service has not been taken [Please refer to <i>Explanation</i> no. (iv)]

<p>(iii) Supply of goods, being food or any other article for human consumption or any drink, by the Indian Railways or Indian Railways Catering and Tourism Corporation Ltd. or their licensees, whether in trains or at platforms.</p>	2.5	<p>Provided that credit of input tax charged on goods and services used in supplying the service has not been taken [Please refer to <i>Explanation</i> no. (iv)]</p>
<p>(iv) Supply of ‘outdoor catering’, at premises other than ‘specified premises’ provided by any person other than-</p> <p>(a) suppliers providing ‘hotel accommodation’ at ‘specified premises’, or</p> <p>(b) suppliers located in ‘specified premises’.</p>	2.5	<p>Provided that credit of input tax charged on goods and services used in supplying the service has not been taken [Please refer to <i>Explanation</i>(iv)]</p>
<p>(v) Composite supply of ‘outdoor catering’ together with renting of premises (including hotel, convention center, club, pandal, shamiana or any other place, specially arranged for organising a function) at premises other than ‘specified premises’ provided by any person other than-</p> <p>(a) suppliers providing ‘hotel accommodation’ at ‘specified premises’, or</p> <p>(b) suppliers located in ‘specified premises’.</p>	2.5	<p>Provided that credit of input tax charged on goods and services used in supplying the service has not been taken [Please refer to <i>Explanation</i>(iv)]</p>
<p>(vi) Accommodation, food and beverage services other than (i) to (v) above</p> <p><b>Explanation:</b></p> <p>(a) For the removal of doubt, it is hereby clarified that, supplies covered by items (ii), (iii), (iv) and (v) in column (3) shall attract state tax prescribed against them in column (4) subject to conditions specified against them in column (5), which is a mandatory rate and shall not be levied at the rate as specified under this entry.</p> <p>(b) This entry covers supply of ‘restaurant service’ at ‘specified premises’</p> <p>(c) This entry covers supply of ‘hotel accommodation’ having value of supply of a unit of accommodation above seven thousand five hundred rupees per unit per day or equivalent.</p> <p>(d) This entry covers supply of ‘outdoor catering’, provided by suppliers providing ‘hotel accommodation’ at ‘specified premises’, or suppliers located in ‘specified premises’.</p> <p>(e) This entry covers composite supply of ‘outdoor catering’ together with renting of premises (including hotel, convention center, club, pandal, shamiana or any other place, specially arranged for organising a function) provided by suppliers providing ‘hotel accommodation’ at ‘specified premises’, or suppliers located in ‘specified premises’.</p>	9	-”;

- (b) against serial number 10, in column (2), after the word “vehicles”, the words “with operators” shall be inserted;
- (c) against serial number 10, in column (3), in item (iii), the words “or without” shall be omitted;
- (d) against serial number 15, in column (3), item (iv) and the entries relating thereto in column (4) and (5) shall be omitted;
- (e) against serial number 15, in column (3), in item (vii), the brackets and words “, (iv)” shall be omitted;
- (f) against serial number 17, in column (2), the figures and words “, with or” shall be omitted;
- (g) against serial number 17, in column (3), item (v) and (vii) and the entries relating thereto in column (4) and (5) shall be omitted;
- (h) against serial number 17, in column (3), for item (viii), the following shall be substituted;

(3)
“(viii) Leasing or rental services, without operator, other than (i), (ii), (iii), (iv), (vi), and (vii) above.”

- (i) against serial number 21, after item (i) in column (3) and the entries relating thereto in columns (3), (4) and (5), the following shall be inserted, namely: -

(3)	(4)	(5)
“(ia) Other professional, technical and business services relating to exploration, mining or drilling of petroleum crude or natural gas or both	6	-”;

- (j) against serial number 21, in column (3), in item (ii), for the brackets and words “(i) above”, the brackets and words “(i) and (ia) above” shall be substituted;
- (k) against serial number 24, in column (2), after the numbers “9986”, the brackets, words and figures “(Support services to agriculture, hunting, forestry, fishing, mining and utilities)” shall be inserted;
- (l) against serial number 24, in column (3), in item (ii), for the words “Service of”, the words “Support services to” shall be substituted;
- (m) against serial number 26, in column (3), in item (i), in clause (c), after the words “products”, the figures and words “, other than diamonds,” shall be inserted;
- (n) against serial number 26, in column (3), after item (ia) and the entries relating thereto in columns (3), (4) and (5), the following shall be inserted, namely: -

(3)	(4)	(5)
“(ib) Services by way of job work in relation to diamonds falling under chapter 71 in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975);	0.75	-
(ic) Services by way of job work in relation to bus body building;	9	-
(id) Services by way of job work other than (i), (ia), (ib) and (ic) above;	6	-”;

- (o) against serial number 26, in column (3), in item (iv), after the brackets, words and figures “(ia),”, the brackets, words and figures “(ib), (ic), (id),” shall be inserted;
- (ii) in the paragraph 2A, the word “registered” shall be omitted;
- (iii) in paragraph 4 relating to explanation, after clause (xxxi), the following clauses shall be inserted, namely:-

“(xxxii) ‘Restaurant service’ means supply, by way of or as part of any service, of goods, being food or any other article for human consumption or any drink, provided by a restaurant, eating joint including mess, canteen, whether for consumption on or away from the premises where such food or any other article for human consumption or drink is supplied.

(xxxiii) ‘Outdoor catering’ means supply, by way of or as part of any service, of goods, being food or any other article for human consumption or any drink, at Exhibition Halls, Events, Conferences, Marriage Halls and other outdoor or indoor functions that are event based and occasional in nature.

(xxxiv) ‘Hotel accommodation’ means supply, by way of accommodation in hotels, inns, guest houses, clubs, campsites or other commercial places meant for residential or lodging purposes including the supply of time share usage rights by way of accommodation.

(xxxv) ‘Declared tariff’ means charges for all amenities provided in the unit of accommodation (given on rent for stay) like furniture, air conditioner, refrigerators or any other amenities, but without excluding any discount offered on the published charges for such unit.

(xxxvi) ‘Specified premises’ means premises providing ‘hotel accommodation’ services having declared tariff of any unit of accommodation above seven thousand five hundred rupees per unit per day or equivalent.”.

- (iv) in the ‘Annexure: Scheme of Classification of Services’, annexed to the notification, -
- (a) against serial number 119 to 124, in column (4), for the words “with or without”, wherever they occur, the word “with” shall be substituted;
  - (b) against serial number 232 to 240, in column (4), for the words “with or without”, wherever they occur, the word “without” shall be substituted.”.

2. This notification shall be deemed to be effective from 1<sup>st</sup> day of October, 2019.

[File.No Va Kar / GST / 03/ 2019]  
By the order of the Governor of Jharkhand,

**Prashant Kumar,**  
Secretary-cum-Commissioner.

**Note:** - The principal notification No. 11/2017 - State Tax (Rate), dated the 29<sup>th</sup> June, 2017 was published in the Gazette of Jharkhand, Extraordinary, *vide* S.O. No. 41, dated the 29<sup>th</sup> June, 2017 and was last amended by notification No. 10/2019-State Tax (Rate), dated the 8<sup>th</sup> July, 2019, published *vide* S.O. No. 59, dated the 8<sup>th</sup> July, 2019.

-----

## वाणिज्य-कर विभाग

### अधिसूचना सं०. 20/2019- राज्य कर (दर)

एस. ओ. सं. 88 दिनांक 1 नवम्बर, 2019-- झारखण्ड माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 9 की उप धारा (1), (3) और (4), धारा 11 की उप धारा (1), धारा 15 की उप धारा (5), धारा 16 की उप धारा (1) और धारा 148 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, झारखण्ड सरकार, जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर और इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतद्वारा, झारखण्ड सरकार, वाणिज्य-कर विभाग की अधिसूचना संख्या 11/2017- राज्य कर (दर), दिनांक 29 जून, 2017 जिसे एस. ओ. सं. 41, दिनांक 29 जून, 2017 के तहत झारखण्ड के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा :-  
उक्त अधिसूचना में, -

(i) सारणी में,-

(क) क्रम संख्या 7 के समक्ष, कॉलम (3), (4) और (5) में दी गई संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित मद और प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा,

(3)	(4)	(5)
“(i) “होटल आवास” की आपूर्ति जिसमें प्रति इकाई व्यवस्था की आपूर्ति का मूल्य एक हजार रुपए से अधिक लेकिन सात हजार पांच सौ रुपए से कम या उसके बराबर तक प्रति इकाई प्रतिदिन या समतुल्य हो ।	6	-
“(ii) “विशिष्ट परिसरों” से भिन्न परिसरों में “रेस्तरा सेवा” की आपूर्ति	2.5	बशर्ते कि ऐसे सेवा की आपूर्ति में प्रयुक्त माल एवं सेवाओं पर भारित कर का इनपुट क्रेडिट न लिया गया हो । [कृपया देखें- स्पष्टीकरण संख्या (iv) ]
“(iii) भारतीय रेलवे या भारतीय रेलवे कैटरिंग एवं पर्यटन निगम लिमिटेड या उनके लाइसेंसियों के द्वारा किसी सेवा या वस्तु, जो कि भोज्य प्रदार्थ या मानव के द्वारा उपभोग की जाने वाली कोई अन्य वस्तु या कोई पेय या उसके हिस्से की आपूर्ति, चाहे वह रेलगाड़ी में अथवा प्लेटफार्म पर प्रदान की जाती हों ।	2.5	बशर्ते कि ऐसे सेवा की आपूर्ति में प्रयुक्त माल एवं सेवाओं पर भारित कर का इनपुट क्रेडिट न लिया गया हो । [कृपया देखें- स्पष्टीकरण संख्या (iv)]

<p>(iv) “विशिष्ट परिसरों” से भिन्न परिसरों में “आउटडोर कैटरिंग” की आपूर्ति जो ऐसे व्यक्ति द्वारा दी गई हो जो निम्न से भिन्न हो:</p> <p>(क) “विशिष्ट परिसरों” में “होटल आवास” देने वाले, या</p> <p>(ख) “विशिष्ट परिसरों” में अवस्थित आपूर्तिकर्ता ।</p>	2.5	<p>बशर्ते कि ऐसे सेवा की आपूर्ति में प्रयुक्त माल एवं सेवाओं पर भारित कर का इनपुट क्रेडिट न लिया गया हो ।</p> <p>[कृपया देखें-स्पष्टीकरण संख्या (iv)]</p>
<p>(v) “विशिष्ट परिसरों” से भिन्न अन्य परिसरों में परिसरों को किराए पर देने (जिसमें होटल, कन्वेंशन सेंटर, क्लब, पंडाल, शामियाना या अन्य स्थान, विशेषकर जो समारोह के आयोजन के लिए तैयार किए जाते हैं) के साथ-साथ “आउटडोर कैटरिंग” की ऐसे व्यक्ति द्वारा आपूर्ति जो निम्न से भिन्न हो:</p> <p>(क) “विशिष्ट परिसरों” में “होटल आवास” देने वाले, या</p> <p>(ख) “विशिष्ट परिसरों” में अवस्थित आपूर्तिकर्ता ।</p>	2.5	<p>बशर्ते कि ऐसे सेवा की आपूर्ति में प्रयुक्त माल एवं सेवाओं पर भारित कर का इनपुट क्रेडिट न लिया गया हो ।</p> <p>[कृपया देखें-स्पष्टीकरण संख्या (iv) ]</p>
<p>(vi) उपर्युक्त (i) से (v) से भिन्न स्थिति में रुकने की सुविधा, खाद्य और पेय सेवाएं स्पष्टीकरण:</p> <p>(क) किसी भी शंका को दूर करने के लिए एतदद्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि कॉलम (3) के अंतर्गत मद (ii), (iii), (iv) और (v) के अंतर्गत आने वाली आपूर्ति पर कॉलम (5) में उनके समक्ष दी गई शर्तों के अधीन रहते हुए कॉलम (4) के समक्ष निर्धारित केन्द्रीय दर लगाया जाएगा जो कि अनिवार्य होगा और इसकी वसूली इस प्रविष्टि में निर्दिष्ट दर से नहीं की जाएगी ।</p> <p>(ख) इस प्रविष्टि में “विशिष्ट परिसरों” में “रेस्तरां सेवाओं” की की जाने वाली आपूर्ति भी शामिल हैं ।</p> <p>(ग) इस प्रविष्टि में “होटल आवास” जिसके प्रति इकाई व्यवस्था की आपूर्ति का मूल्य सात हजार पांच सौ रुपए प्रति इकाई प्रति दिन से अधिक या समतुल्य हो भी शामिल हैं ।</p>	9	-”;

<p>(घ) इस प्रविष्टि में “आऊटडोर कैटरिंग” जो कि ऐसे आपूर्तिकर्ता द्वारा प्रदान की गई हो जो “विशिष्ट परिसरों” में “होटल की सुविधा” प्रदान करते हों या ऐसे आपूर्तिकर्ता द्वारा प्रदान की गई हो जो ‘विशिष्ट परिसरों’ में अवस्थित हों, भी शामिल हैं ।</p> <p>(ड.) इस प्रविष्टि में ऐसे आपूर्तिकर्ताओं द्वारा प्रदान की गई परिसरों को किराए पर देने (जिसमें होटल, कन्वेंशन सेंटर, क्लब, पंडाल, शामियाना या अन्य स्थान, विशेषकर जो समारोह के आयोजन के लिए तैयार किए जाते हैं) के साथ-साथ “आऊटडोर कैटरिंग” की संयुक्त आपूर्ति भी शामिल है जो कि “विशिष्ट परिसरों” में “होटल आवास” प्रदान करते हैं अथवा “विशिष्ट परिसरों” में अवस्थित हों ।</p>		
--	--	--

- (ख) क्रम संख्या 10 के समक्ष, कॉलम (2) में, शब्द “सेवा”, के पश्चात शब्द “प्रचालकों सहित” अंतःस्थापित किए जाएंगे;
- (ग) क्रम संख्या 10 के समक्ष, कॉलम (3) में, मद (iii) में शब्द “या उसके बिना”, निरसित किए जाएंगे;
- (घ) क्रम संख्या 15 के समक्ष, कॉलम (3) के मद (iv) को और कॉलम (4) और (5) में उससे संबंधित प्रविष्टियों को निरसित किया जाएगा;
- (ड) क्रम संख्या 15 के समक्ष, कॉलम (3) में, मद (vii) में, कोष्ठक और शब्द “, (iv)” को निरसित किया जाएगा;
- (च) क्रम संख्या 17 के समक्ष, कॉलम (3) के मद (v) और (vii) को और कॉलम (4) और (5) में दी गई उससे संबंधित प्रविष्टियों को निरसित किया जाएगा;
- (छ) क्रम संख्या 17 के समक्ष, कॉलम (3) में, मद (viii) के स्थान पर, निम्नलिखित मद और प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(3)
“(viii) उपर्युक्त (i), (ii), (iii), (iv), (vi), और (vii) से भिन्न प्रचालक के बिना पट्टा या भाटक सेवाएं ।”

- (ज) क्रम संख्या 21 के समक्ष, कॉलम (3) के, मद (i) में और कॉलम (3), (4) और (5) में दी गई उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित को अंतःस्थापित किया जाएगा; यथा:-

(3)	(4)	(5)
“(िक) अन्य पेशेवर, तकनीकी और व्यापारिक सेवाएं जो कि कच्चे पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैस या दोनों के अन्वेषण, खनन या ड्रिलिंग से संबंधित है”	6	-”;

- (झ) क्रम संख्या 21 के समक्ष, कॉलम (3) में, मद (ii) में, शब्द और कोष्ठक “उपर्युक्त (i)” के स्थान पर शब्द और कोष्ठक “उपर्युक्त (i) और (िक)” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (ञ) क्रम संख्या 24 के समक्ष, कॉलम (3) में, मद (ii) में, शब्द “की सेवा”, के स्थान पर शब्द “को समर्थन सेवाएं” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (ट) क्रम संख्या 24 के समक्ष, कॉलम (2) में, संख्या “9986”, के पश्चात शब्द और अंक “(कृषि, शिकार, वानिकी, फिशिंग, खनन और उपयोगिता समर्थक सेवाएं)” को अंतःस्थापित किया जाएगा;
- (ठ) क्रम संख्या 26 के समक्ष, कॉलम (3) में, मद (i) में, उपवाक्य (ग) में शब्द “उत्पादों” के पश्चात शब्द “, हीरे से भिन्न” अंतःस्थापित किए जाएंगे;
- (ड) क्रम संख्या 26 के समक्ष, कॉलम (3) के मद (िक) के और कॉलम (3), (4) और (5) में दी गई उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:-

(3)	(4)	(5)
“(िख) सेवाएं जो कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के अध्याय 71 के अंतर्गत आने वाले हीरे से संबंधित जॉब वर्क के माध्यम से दी गई हों;	0.75	-
(िग) सेवाएं जो कि बस की बाडी बिल्डिंग से संबंधित जॉब वर्क के माध्यम से दी गई हों;	9	-
(िघ) सेवाएं जो कि उपर्युक्त (i), (िक), (िख) और (िग) से भिन्न जॉब वर्क के माध्यम से दी गई हों;	6	-”;

- (ढ) क्रम संख्या 26 के समक्ष, कॉलम (3) में, मद (iv) में, शब्द और अंक “(िक)”, के पश्चात अंक और शब्द “(िख), (िग) और (िघ)” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ii) पैराग्राफ 2क में, शब्द “पंजीकृत” को निरसित किया जाएगा;

(iii) स्पष्टीकरण से संबंधित पैराग्राफ 4 में उपवाक्य (xxxi) के पश्चात, निम्नलिखित उपवाक्यों को अंतःस्थापित किया जाएगा; यथा:-

(xxxii) “रेस्तरां सेवा” से अभिप्राय किसी सेवा या वस्तु, जो कि भोज्य प्रदार्थ या मानव के द्वारा उपभोग की जाने वाली कोई अन्य वस्तु हो या कोई पेय हो के या उसके हिस्से की आपूर्ति से है जो कि किसी रेस्तरां, इटिंग ज्वाइंट जिसमें मैस, कैंटीन भी आती हैं, के द्वारा प्रदान की गई हो, चाहे यह उसी परिसर में ग्रहण करने के लिए या उससे दूर ग्रहण करने के लिए की गई हो जहां ऐसे भोज्य प्रदार्थ या मानव के द्वारा उपभोग की जाने वाली अन्य वस्तु या पेय प्रदार्थ की आपूर्ति की गई हो ।

(xxxiii) “आउटडोर कैटरिंग” की आपूर्ति से अभिप्राय किसी सेवा की या उसके हिस्से की या किसी वस्तु जो कि भोज्य प्रदार्थ हो या मानव के द्वारा उपभोग की जाने वाली कोई अन्य



वस्तु हो या पेय हो की आपूर्ति से है जो कि किसी प्रदर्शनी हॉल, समारोह, सम्मेलन, मैरिज हॉल या अन्य आउटडोर या इनडोर समारोह में की गई हो, जो कि समारोह आधारित हैं और अवसर विशेष पर होते हैं ।

(xxxiv) "होटल आवास" से अभिप्राय होटलों, इन्स, गेस्ट हाऊसों, क्लबों, शिविर स्थलों और अन्य वाणिज्यिक स्थानों जिनका प्रयोग आवास या ठहरने के लिए होता है, में व्यवस्था देकर की जाने वाली आपूर्ति जिसमें व्यवस्था के माध्यम से टाईम शेयर यूसेस राइट्स की आपूर्ति भी आती है ।

(xxxv) "घोषित टैरिफ" से अभिप्राय किसी इकाई व्यवस्था में (ठहरने के लिए किराए पर दी गई) जैसे कि फर्नीचर, एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर या अन्य सुविधाओं, जैसी सभी सुविधाओं पर लगाए जाने वाले प्रभार से है लेकिन ऐसी इकाइयों के लिए प्रकाशित प्रभार पर दी जाने वाली किसी भी छूट को इसमें से अलग नहीं किया जाता है ।

(xxxvi) 'विशिष्ट परिसर' से अभिप्राय ऐसे परिसरों से है जो कि ऐसे "होटल की व्यवस्था" की सेवाएं प्रदान करते हैं जिनका ठहरने की एक इकाई का घोषित टैरिफ सात हजार पांच सौ रुपए प्रति इकाई प्रतिदिन से अधिक या समतुल्य हो ।

(iv) इस अधिसूचना में संलग्न "अनुबंध: सेवाओं के वर्गीकरण की योजना" में ,-

क. क्रम संख्या 119 से 124 के समक्ष, कॉलम (4) में, जहां-जहां भी शब्द "सहित या रहित" आए हों, वहां-वहां शब्द "सहित" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

ख. क्रम संख्या 232 से 240 के समक्ष, कॉलम (4) में, जहां-जहां भी शब्द "के साथ या उसके बिना" आए हों, वहां-वहां शब्द "के बिना" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

2. यह अधिसूचना 1 अक्टूबर, 2019 से लागू मानी जाएगी।

[सं.सं .वा0कर/जी0एस0टी0/03/2019]

झारखंड राज्यपाल के आदेश से

**प्रशांत कुमार,**  
सचिव-सह-आयुक्त

**नोट:** प्रधान अधिसूचना संख्या 11/2017- राज्य कर (दर), दिनांक 29 जून, 2017 को एस. ओ. सं. 41, दिनांक 29 जून, 2017 के तहत झारखण्ड के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 10/2019- राज्य कर (दर), दिनांक 8 जुलाई, 2019, एस. ओ. सं. 59, दिनांक 8 जुलाई, 2019, के द्वारा संशोधन किया गया है ।

-----